<u>कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।</u>

<u>प्रेस-नोट</u>

<u>दिनांक- 28/09/2024</u>

<u>विषयः- थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा 25 हजार का इनामिया 01 नफर गोतस्कर को गिरफ्तार किया गया।</u>

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के आदेश के अनुपालन में अपराधों की रोकथाम, वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के नेतृत्व में थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 151/2024 धारा 3/5A/5B/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम-1955, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त/गोतस्कर (25000 का इनामिया) रामानन्द शर्मा उर्फ अंकित शर्मा पुत्र श्याम लाल शर्मा निवासी नूआंव (महमूगंज) थाना दुर्गावती जनपद कैमूर (भभुवा) बिहार उम्र 28 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27/09/2024 को नक्खी घाट क्रासिंग मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का विवरण-------</u> दिनांक 31/07/2024 को चौकी प्रभारी चौकाघाट उ0नि0 श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी मय हमराहीगण के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि पुलिस टीम को देखकर टाटा योद्धा वाहन UP61BT5192 में 06 गाय व 2 बछड़े छोडकर चालक फरार हो गया था जिसके क्रम में चौकी प्रभारी चौकाघाट द्वारा थाना जैतपुरा में मु0अ0सं0 151/2024 धारा 3/5A/5B/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 1955 पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्याम लाल सरोज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में दिनांक 27/09/2024 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त को नक्खी घाट क्रासिंग मोड के पास से थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम रामानन्द शर्मा उर्फ अंकित शर्मा पुत्र श्याम लाल शर्मा निवासी नूआंव (महमूगंज) थाना दुर्गावती जनपद कैमूर (भभुवा) बिहार उम्र 28 वर्ष बताया। जिसको उसके द्वारा कारित धारा 3/5A/5B/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 1955 के अपराध का बोध कराते हुए दिनांक 27/09/2024 को समय करीब 22.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

<u>विवरण पूछताछ-</u>

अभियुक्त रामानन्द शर्मा उर्फ अंकित शर्मा पुत्र श्याम लाल शर्मा निवासी नूआंव (महमूगंज) थाना दुर्गावती जनपद कैमूर (भभुवा) बिहार उम्र 28 वर्ष बताया की साहब मुझे माफ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है दिनांक 31/07/2024 को पुलिस टीम को देखकर मै डर गया था और वाहन सहित गोवंश को छोड़कर फरार हो गया था। साहब मै उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से गाय-बैल बिहार ले जाकर एकत्रित कर के बिहार से ट्रक द्वारा पश्चिम बंगाल वगैरह के लिए भेजता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रामानन्द शर्मा उर्फ अंकित शर्मा पुत्र श्याम लाल शर्मा निवासी नूआंव (महमूगंज) थाना दुर्गावती जनपद कैमूर (भभुवा) बिहार उम्र 28 वर्ष (पुरस्कार घोषित- रूपये 25000)

गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री बृजेश कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 श्री श्याम लाल सरोज, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी, चौकी प्रभारी चौकाघाट, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
4. हे0का0 दिलशाद खाँ, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 विपिन मिश्रा, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
जोन-काशी, कमिश्नरेट वाराणसी।